

(आदेश 20 नियम 6,7 जा,दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

श्री गजानन्द जांगीड़ आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

1. श्रीमति सीताबाई पुत्री रतना पत्नी प्रेमसिंह मीणा निवासी बिलोट तह. डुंगला
2. श्रीमति मंजू पुत्री रतना पत्नी नरेश मीणा निवासी खानपुरा तह. बड़ीसादड़ी
3. श्रीमति ललिता पुत्री रतना पत्नी मांगीलाल मीणा निवासी खानपुरा त.बड़ीसादड़ी  
- वादी


॥ बनाम ॥

- 1-श्री रतना पिता वगता मीणा निवासी रातीतलाई तह. बड़ीसादड़ी
- 2-तहसीलदार भूमिधारी बड़ीसादड़ी

-प्रतिवादीगण

प्रकरण सं. 27/2019 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए. वादी की ओर से वकील दिनेश कुमार वैष्णव और प्रतिवादी की ओर से वकील एक्स पार्टी उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है


मौजा रातीतलाई की आ.न. 188,193,194,195,196,197,198,209,कुल किता 08 रकबा 5.58 है. भूमि में वादीगण व प्रतिवादी न. 1 (प्रत्येक) का 1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करने का आदेश दिया जाता है। इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित..... को दी जावे। यह आज दिनांक 22.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

  
(गजानन्द जांगीड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बड़ीसादड़ी

क्रमांक/राजस्व/2019/

दिनांक:-

मुल ही डिग्री की प्रति तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेजकर लेख है कि डिग्री अनुसार पालना कर रिपोर्ट भिजावे।

  
(गजानन्द जांगीड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बड़ीसादड़ी

